खंड 1 संख्या 118

राष्ट्र महिला

मई 2009

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

15वीं लोक सभा में 59 महिला सदस्यों का चुन कर आना बहुत प्रोत्साहजनक है क्योंकि यह संख्या स्वतंत्रता के बाद से सदन में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार संसद में महिला सदस्यों का अनुपात 10% से अधिक हुआ है। इससे पूर्व, 13वीं लोक सभा में 49 महिला सदस्य थीं जो उनकी अब की सर्वाधिक संख्या थी। अब इसमें 9 की बढ़ोतरी हो गयी है।

यद्यपि भारतीय महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तथापि औद्योगीकृत देशों की संसदों की तुलना में यह संख्या अब भी बहुत कम है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, आयरलैंड और फ्रांस में महिला सांसदों की संख्या क्रमशः 19.3%, 16.1%, 14.2% और 13.9% है। स्वीडन की संसद में महिलाओं का अनुपात विश्व में सबसे अधिक, अर्थात 47% है। इन देशों की तुलना से स्पष्ट है कि यद्यपि भारत उन देशों में है जहां महिलाओं को बहुत प्रारंभ में ही राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गये थे, फिर भी लोक सभा में उनकी संख्या बहुत कम रही।

परन्तु 15वीं लोक सभा की शुरूआत इस दिशा में सकारात्मक रूप से हुई है और आशा की जाती है कि महिलाएं अब अपनी उपस्थिति महसूस करायेंगी और महिला परिप्रेक्ष्य तथा दृष्टिकोण सशक्त रूप से प्रस्तुत करेंगी। अब तक, बहुत कम संख्या में होने के कारण, महिला सदस्य महिलाओं संबंधित मुद्दों पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती थीं और उनकी आवाज़ दब कर रह जाती थी। हम आशा करते हैं कि आगे से उनकी आवाज़ सुनी जायेगी।

चर्चा में — महिला शक्ति

वास्तव में, संसद में महिलाओं का अब तक सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारतीय समाज में आ रहे बदलाव का द्योतक है और इंगित करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में

महिलाएं धीरे-धीरे अपने पैर जमा रही हैं। ऐसा सोचने का आधार यह है कि इस निर्वाचन में जीतने वाली ये महिलाएं पुरुष उम्मीदवारों को हरा कर आयी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अथवा संसद में आरक्षण के रूप में उन्हें कोई रियायतें नहीं दी गयीं। कभी भी पहले से अधिक महिलाओं का चुना जाना दर्शाता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति बदल रही है।

इस संदर्भ में, महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें महिलाओं के लिए संसद और विधान सभाओं में 33% स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। सर्व-दल सहमति के अभाव में, यह विधेयक गत 13 वर्षों से लटका पड़ा है। अब चूंकि वर्तमान सरकार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए संसद एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं का अनुपात सुधारने के लिए उसे कदम उठाने चाहिए। अफगानिस्तान सामाजिक रूप से बहुत अनुदार देश है, किन्तु वहां भी संसद में महिलाओं का 25% कोटा है। रवान्डा में, यह कोटा और भी अधिक है। अफगानिस्तान में तो महिलाएं सामान्य कोटा से भी संसद में आयी हैं। हमारे अन्य पिछड़े वर्गों के नेताओं का कोटा के अंदर कोटा का तर्क स्वार्थी है। निश्चित रूप से, हमारे जैसे देश में महिलाओं को सामान्य कोटा से सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में भेजा जाना आवश्यक है जहां कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो, ताकि वे न केवल महिलाओं का अपितु समस्त समाज का सशक्तिकरण कर सकें।

डॉ. गिरिजा व्यास को बधाई संदेशों का तांता

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास चित्तौड़गढ़ लोक सभा सीट से 70,000 से अधिक वोटों से विजयी हुई हैं।

हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं।

दहेज मांगने पर दूल्हे और उसके पिता की पिटाई

विवाह के एक दिन बाद दुल्हन के पिता से कथित रूप से दहेज मांगने पर दूल्हे और उसके परिवार वालों की पिटाई कर दी गयी। जब विदाई का समय आया, तो दुल्हन का पिता दूल्हे को मारुति आल्टो कार की चाबी देने गया। किन्तु दूल्हे ने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे स्कोर्पिओ गाड़ी और 15 लाख रुपये नकद चाहिए। हरियाणा में नूह से 20 किलोमीटर दूर स्थित बदरपुर गांव के लोगों को जैसे ही इस अनुचित मांग की भनक पड़ी, उन्होंने विदाई से पूर्व ही दूल्हे को अपनी पत्नी को तलाक देने पर मजबूर किया क्योंकि वह 'उस के लायक नहीं' था।

गांव वालों ने दूल्हे और उसके पिता को न केवल बुरी तरह पीटा, अपितु 25 बरातियों को भी बंधक बना लिया और उनके सर मूंड दिये। बाद में रात को पंचायत बुलाई गयी जिसने निर्णय दिया कि उन लोगों को तभी छोड़ा जायेगा जब दूल्हे का परिवार लड़की के परिवार को 8 लाख रुपये दे जो लड़की वालों ने सगाई से अब तक खर्च किए थे। दूल्हे के पिता के पास शर्त मान लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। बाद में उन लोगों को छोड़ दिया गया।

दहेज देने पर महिला तथा परिवार के विरुद्ध एफ.आई.आर.

पहली बार दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला, उसके माता-पिता तथा भाई के विरुद्ध कथित रूप से दहेज देने के आरोप में एक एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।

गत तीन वर्षों में दिल्ली में दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज किया जाने वाला फौजदारी का यह पहला मामला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा : "साथ-साथ ही पुलिस को दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता के माता-पिता के विरुद्ध मामला दर्ज करना चाहिए जो दहेज की मांग के बावजूद भी अपनी पुत्री का विवाह करते हैं।"

आयोग गैर-निवासी भारतीयों के विवाह की समन्यव एजेंसी बनेगा

"गैर-निवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) ने अपनी एक सिफारिश में कहा है कि गैर-निवासी भारतीयों के विवादात्मक विवाहों के मुद्दे से निपटने के लिए पीड़ित महिला को समस्या का सम्मानजनक निदान प्राप्त कराने के प्रयोजन से एक सु-परिभाषित/समन्वित व्यवस्था-तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

इस सिफारिश पर एक अंतर-मंत्रालय बैठक में विचार-विमर्श किया गया जिसमें समुद्रपार भारतीय कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समुद्रपार भारतीयों द्वारा अपनी भारतीय पत्नियों को छोड़ देने संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने की राष्ट्रीय स्तर की समन्वय एजेंसी राष्ट्रीय महिला आयोग होगा।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और विदेशों में भारतीय मिशनों से निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए वे तद्नुसार आगे की कार्यवाही करें।

सदस्यों के दौरे

देवघर (झारखंड) में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पर आयोजित एक सेमिनार में सदस्या मंजु हेम्ब्रोम ने भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री हेम्ब्रोम ने कहा कि घरेलू हिंसा का मुकाबला करने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब भी पुलिस थानों पर शिकायतें दर्ज कराने से डरती हैं और उनकी शिकायतों को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता।

सेमिनार का उद्घाटन करते हुए, डी. आई.जी. श्री मुरलीलाल मीना ने पुलिस अधिकारियों से अपील की कि वे महिलाओं को डरायें नहीं अपितु अपने अधिकारों को समझने में उनकी सहायता करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं में घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना स्थापित करने की अतीव आवश्यकता है।

सेमिनार में सुश्री हेम्ब्रोम और डी.आई.जी. श्री मीना

45% भारतीय महिलाओं का विवाह नाबालिक उम्र में हुआ

एक संयुक्त भारत-अमेरिका अध्ययन से पता चला है कि 20 से 24 वर्ष के बीच की वयस्क भारतीय महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी आयु से पूर्व हुआ था।

इन बाल विवाहों का परिणाम हुआ प्रसवशक्ति में कमी आना, जैसे अनचाहा और गिराया गया गर्भ, 24 मास से भी कम समय में पुनः गर्भधारण और बंध्यकरण दर में बढ़ोतरी।

अध्ययन से पता चला कि 22 से 24 वर्ष के बीच की आयु की 44.5% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ था। 22.6% महिलाओं का विवाह 16 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ था, जबकि 2.6% को 13 वर्ष की आयु से पूर्व ही ब्याह दिया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत में विवाह की कानूनी आयु 1978 में बढ़ा कर 18 वर्ष कर दी गयी थी।

क्या आप जानते हैं?

वर्ष 2005 में, दहेज मृत्यु के 6,787 मामले दर्ज किए गये। यह संख्या 2006 में बढ़ कर 7,618 और 2007 में 8,093 हो गयी। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की सूचना के अनुसार, ससुरालों में वर्ष 2007 में महिलाओं पर उत्पीड़न एवं अत्याचार की 75,930 घटनाएं हुई।

बाल विवाह रोकने वाली लड़की से राष्ट्रपति की भेंट

12 वर्षीय रेखा कालिंदी, जिसने कहा था कि 'मैं बाल विवाह नहीं होने दूंगी', अब एक अंतर्राष्ट्रीय पोस्टर बालिका बन गयी है जिसके 11,000 वेब उल्लेख हो गये हैं।

हाल ही में, यह लड़की जो अपने पांच भाई-बहनों के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्णिया जिले में एक-कमरे वाली बिना बिजली, पानी या शौचालय की झोंपड़ी में बीड़ियां वेलने का काम करती थी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिली।

यह पढ़ने के बाद कि देश में सबसे कम साक्षरता दर (18.4%) वाले गांव की लड़की ने अपने बाल विवाह के लिए ना कह दिया तथा दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित किया, राष्ट्रपति ने रेखा और दो अन्य 13 वर्षीय लड़कियों - अफसाना खातून तथा सुनीता महातो को - जिन्होंने विवाह की अपेक्षा पढ़ना बेहतर समझा, राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया।

राष्ट्रपति ने उनके साहस की सराहना की और उन्हें सामाजिक परिवर्तन के अग्र दूत कहा।

महत्वपूर्ण निर्णय

● न्यायालय ने कहा कि अनुचित तलाक को भरण-पोषण का दावा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता

एक नगर न्यायालय ने हाल ही में अपने निर्णय में कहा कि 'बिना किसी न्यायोचित कारण यदि कोई महिला अपने पति से अलग हो जाये तो वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं होगी।' अपने पति को छोड़ कर अपने माता-पिता के घर रह रही एक महिला द्वारा दायर भरण-पोषण की याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने यह बात कही। नगर न्यायालय के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि 'कोई पुरुष, जिसकी पत्नी ने उसे बिना किसी न्यायोचित कारण छोड़ दिया हो, उसको भरण-पोषण की राशि देने का जिम्मेवार नहीं है।'

● दहेज मृत्यु साबित करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराना आवश्यक नहीं: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा हे कि किसी दहेज मृत्यु के मामले में पीड़िता के पति अथवा सास-ससुर को सज़ा देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे तंग या उत्पीड़ित किए जाने की शिकायत औपचारिक रूप से पुलिस में दर्ज कराई गयी हो।

न्यायालय ने कहा : 'महज इसलिए कि मृतक और उसके रिश्तेदारों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, क्या यह बात उनके साक्ष्य को नकार देने का आधार हो सकती है?' उक्त मामले में, सुरेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति को मुकदमा न्यायालय ने अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी थी। उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के सात मास के अंदर जलने से हुई थी।

सुरेन्द्र कुमार को दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखते हुए, न्यायालय ने पीड़िता के रिश्तेदारों के साक्षों का हवाला दिया कि महिला को पर्याप्त दहेज न लाने के लिए लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा था।

● दहेज कानून और भी कठोर बना

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दहेज संबंधित कानून और अत्याचार विरोधी कानून ऐसे किसी भी पुरुष पर लागू होंगे जो जीवित है, किसी महिला के साथ संभोग करता तथा उस पर पति का अधिकार प्रयुक्त करता है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित हों या नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां दहेज उत्पीड़न का आरोप हो, या दहेज मृत्यु हुई हो, कोई व्यक्ति यह कह कर नहीं बच सकता कि उक्त महिला के साथ उसका विवाह कानूनी रूप से नहीं हुआ था।

● यदि पति/पत्नी आत्महत्या कर ले तो विवाहेतर प्रेमियों को जेल हो सकती है: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि किसी महिला का पति इस बात पर आत्महत्या कर लेता है कि उसकी पत्नी के विवाहेतर रिश्ते थे, तो पत्नी और उसके प्रेमी को आत्महत्या प्रेरित करने के जुर्म में जेल हो सकती है।

उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दी गयी सजा को उच्चतम न्यायालय ने बहाल रखा जिसके अवैध संबंध एक अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ थे और 'शर्मसार' होने के कारण उस स्त्री के पति ने आत्महत्या कर ली थी। पत्नी को भी दोषी करार दिया गया था, किन्तु उसने कोई अपील दायर नहीं की थी क्योंकि वह उच्च न्यायालय के इस आदेश से संतुष्ट थी जिसमें उसकी सजा घटा कर मात्र एक वर्ष कर दी गयी थी।

● असाधारण विलम्ब होने पर सजा नहीं

एक व्यक्ति को दी गयी तीन वर्ष के कारावास की सजा को रद्द करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कथित कृत्य की शिकायत काफी समय बीत जाने के बाद की जाये तो पति अथवा उसके किसी रिश्तेदार को पत्नी को तंग करने की सजा नहीं दी जा सकती। इस मामले में, कथित उत्पीड़न के तीन वर्ष बाद शिकायत दर्ज की गयी थी।

● 18 वर्ष की आयु पर लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर की लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है और उसके माता-पिता को चेतावनी दी कि उसके निर्णय में हस्तक्षेप न करें।

न्यायालय ने कहा कि यदि लड़की बालिग है तो माता-पिता उसे परिसीमित नहीं कर सकते, यंत्रणा नहीं दे सकते या उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं कर सकते।

● पत्नी की शिकायत पर पति की महिला मित्र को सजा नहीं दी जा सकती : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी पुरुष के साथ पत्नी के रूप में रह रही किसी महिला पर, उसकी रखैल पर या उसकी महिला मित्र पर दहेज का अथवा पति या अन्यों द्वारा उसकी पत्नी को उत्पीड़ित किए जाने का मुकदमा नहीं किया जा सकता। एक खंडपीठ ने कहा कि 'किसी अन्य महिला के साथ रहना पति की निर्दयता हो सकती है ... परन्तु यह भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का कोप आकर्षित नहीं करता।'

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन
आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।